

न्यायालय सत्र न्यायाधीश बैतूल , जिला बैतूल (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी श्री आर0एन0चौधरी)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 123 / 2015संस्थापन दिनांक: 11 / 03 / 15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चिचोली
जिला बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजनविरुद्ध

- 1 महासिंह उर्फ मानसिंह पिता कुम्मा जाति गोंड उम्र 25 साल निवासी ग्राम गदाखार, थाना चिचोली जिला बैतूल (म0प्र0)
- 2 बाबूलाल पिता कुम्मा जाति गोंड उम्र 20 साल निवासी ग्राम गदाखार थाना चिचोली जिला बैतूल (म0प्र0)
- 3 बबलू पिता ओझा, जाति गोंड उम्र 25 साल निवासी ग्राम वीरपुर थाना चिचोली जिला बैतूल (म0प्र0)
- 4 लक्ष्मी पत्नी बबलू जाति गोंड उम्र 24 साल निवासी ग्राम वीरपुर, थाना चिचोली जिला बैतूल (म0प्र0)
- 5 रूक्को बाई पत्नी लालसिंह जाति गोंड उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम गदाखार थाना चिचोली जिला बैतूल (म0प्र0)

..... अभियुक्तगण

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल (श्री शशांक खरे) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 6472/14 में पारित उपापण आदेश दिनांक 28/02/15 से उद्भूत प्रकरण

अभियोजन द्वारा श्री नितिन मिश्रा लोक अभियोजक
अभियुक्त महासिंह, बाबूलाल एवं रूक्को बाई द्वारा श्री हीरामन सूर्यवंशी अधि.
अभियुक्त बबलू एवं लक्ष्मी द्वारा श्री सुरेन्द्र चौधरी अधिवक्ता

(निर्णय)(आज दिनांक **13 जुलाई, 2016** को घोषित किया गया)

1. प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 6/10/2014 को 11:00 बजे के पूर्व ग्राम गदाखार एवं ग्राम गदाखार स्थित कुशती खेलने वाले जंगल, अन्तर्गत थाना चिचोली में शेष सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर कोंडू उर्फ अमरदास एवं सुखवंती बाई की हत्या करने के लिए विधि-विरुद्ध जमाव निर्मित किये जाने तथा उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बल्वा करने के लिए तथा उक्त विधि विरुद्ध

जमाव का सदस्य रहते हुए उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कौंडू उर्फ अमरदास एवं सुखवंती बाई की हत्या कारित करने के लिए क्रमशः धारा 147 एवं 302/149 भादवि के अन्तर्गत आरोप विचारणीय है। साथ ही उक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में यह जानते हुए या यह विश्वास का कारण रखते हुए कि उसके द्वारा किया गया अपराधिक कृत्य आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दंडनीय है, स्वयं को उक्त अपराध के वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृतक कौंडू उर्फ अमरदास एवं सुखवंती बाई के शव को वास्तविक घटना स्थल से हटाकर पानी में फेंककर तथा उनके कपड़ों को जलाकर साक्ष्य को विलोपित करने के लिए धारा 201/149 भादवि के अन्तर्गत भी आरोप विचारणीय है।

2. अभियोजन मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तावड़ी का कोटवार रामदास मेहरा दिनांक 6/10/2014 को प्रातः करीब 11:00 बजे पोला पहाड़ नदी तरफ काम से गया था, उसने यह देखा कि पोला पहाड़ नदी में पानी में एक लड़की तैरती हुई मृत अवस्था में पड़ी है, उसी के बाजू में नीचे एक लड़का जैसा दिख रहा है, आधा पानी में व थोड़ा सा बदन दिख रहा है। फिर वह वापस गांव में आया तथा गांव के पटेल मन्नू एवं सरपंच नानू उइके को बताया। मृत्यु किस कारण से हुई है ? इसकी जानकारी न होना व्यक्त करते हुए कोटवार रामदास मेहरा द्वारा दिनांक 6/10/2014 को 13:30 उक्तानुसार पुलिस चौकी भीमपुर पर सूचना दिया गया। उसकी मौखिक सूचना के आधार पर पुलिस चौकी भीमपुर पर जीरो पर मार्ग इंटीमेशन क्रमांक 0/15/2014 एवं 0/16/2014 अन्तर्गत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता कायम किया गया। जीरो पर कायम उक्त मार्ग इंटीमेशन के आधार पर दिनांक 6/10/14 को ही 19:40 बजे पुलिस थाना चिचोली पर नम्बरी मार्ग क्रमशः 83/14 एवं 84/14 अन्तर्गत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता कायम किया गया। सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी भीमपुर, कमलेश सिंह द्वारा पोला पहाड़ी नदी तावड़ी पर जाकरके पंचान नानू उइके, मन्नू, रामदास मेहरा, कमल गोंड एवं गंगू गोंड को तलब करके उक्त पंचानों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया गया। एक शव अज्ञात मृतक पुरुष उम्र करीब 35 वर्ष का था तथा दूसरा शव अज्ञात मृतिका महिला उम्र करीब 30 वर्ष का था। दोनों मृतक के मुंह (चेहरे) को मछलियों द्वारा खा लिया गया था इसलिए शव की शिनाख्तगी करवाये जाने पर भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। शव एवं घटना स्थल का फोटोग्राफ लिया गया। पंचान के समक्ष अज्ञात मृतक पुरुष तथा अज्ञात मृतिका महिला दोनों का शव पंचनामा बनाया गया। शव की पहचान न हो सकने के संबंध में पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर ही चिकित्सक से उक्त दोनों अज्ञात शवों का पोस्टमार्टम करवाया

गया तथा उक्त दोनों शव को मौके पर ही जमीन में गाड़कर दफना दिया गया। मर्ग जांच के दौरान दिनांक 6/10/14 को ही कमल, नानू उइके का बयान लिया गया। दिनांक 6/10/14 को 16:40 बजे घटना स्थल, जहां लाश नदी के पानी में मिली थी, वहां का मौका नक्शा बनाया गया। दिनांक 6/10/14 को मृतिका महिला के लंग्स, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, किडनी के टुकड़े जो प्लास्टिक की सफेद बर्नी में सील बंद थे तथा मृतिका के पेट एवं आंतों के टुकड़े जो प्लास्टिक की सफेद बर्नी में सील बंद थे तथा नमक का घोल जो प्लास्टिक की सफेद बर्नी में सीलबंद था, चिकित्सक द्वारा सौंपे जाने पर सहायक उप निरीक्षक चौकी भीमपुर कमलेश सिंह रघुवंशी द्वारा जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। साथ ही मृतिका के शरीर में पाया जाने वाला सिन्दूरी रंग का ब्लाउज, काले रंग का ब्रा एवं जांघिया को, जो सील बंद हालत में चिकित्सक द्वारा आरक्षक महेश क्रमांक 460 को सौंपा गया था, उसको श्री कमलेश सिंह रघुवंशी द्वारा दिनांक 6/10/14 को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक 6/10/14 को ही मृतक पुरुष का लंग्स, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, किडनी के टुकड़े जो प्लास्टिक की सफेद बर्नी में सील बंद थे तथा मृतिका के पेट एवं आंतों के टुकड़े जो प्लास्टिक की सफेद बर्नी में सील बंद थे तथा नमक का घोल जो प्लास्टिक की सफेद बर्नी में बंद था, चिकित्सक द्वारा सौंपे जाने पर सहायक उप निरीक्षक चौकी भीमपुर कमलेश सिंह रघुवंशी द्वारा जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया साथ ही मृतक पुरुष के शरीर पर ब्लैक एण्ड व्हाइट चेक शर्ट, ब्लू-ब्लैक लाईनिंग का अण्डरवियर, जो सील बंद हालत में चिकित्सक द्वारा आरक्षक महेश क्रमांक 460 को सौंपा गया था, उसको श्री कमलेश सिंह रघुवंशी द्वारा दिनांक 6/10/14 को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। पीएम रिपोर्ट एवं मर्ग जांच के आधार पर दिनांक 7/10/14 को पुलिस थाना चिचोली पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 305/14 अन्तर्गत धारा 302, 201 भादवि अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया।

3. अनुसंधान के दौरान दिनांक 8/10/14 को 11:00 बजे अभियुक्त महासिंह उर्फ मानसिंह को कस्टडी में लिया जाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दी गई जानकारी का मेमोरेण्डम बनाया गया। महासिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अपने घर से लेंडिया की पुरानी इस्तेमाली 35 इंच लम्बी लकड़ी पेश करने पर 18/10/14 को 11:45 बजे जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त बाबूलाल को दिनांक 18/10/14 को 11:30 बजे कस्टडी में लिया जाकर पूछताछ की गई तथा पूछताछ में दी गई जानकारी का मेमोरेण्डम बनाया गया। दिनांक 8/10/14 को 11:45 बजे अभियुक्त बाबूलाल के द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल डबल एस लाल रंग का हीरो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नम्बर एम0पी0 28 एफ 7170 जप्त करके

जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त महासिंग से दिनांक 8/10/14 को ही दिन में 12 बजे ग्राम लापा खामापुर की सीमा पर पुनः पूछताछ करके पूछताछ में दी गई जानकारी का मेमोरेण्डम बनाया गया तथा दिनांक 8/10/14 को ही 14 बजे पीएम पर अभियुक्त महासिंग के बताने पर ग्राम लापा खामापुर की सीमा पर खामापुर भीमपुर रोड पर खामापुर जाते समय दाहिने तरफ रोड के नाले में गेहूं का जला अधजला बारदान तथा राख जब्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक 8/10/14 को अभियुक्त बाबूलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया, अभियुक्त महासिंग को भी गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। दिनांक 8/10/14 को ही अभियुक्त बबलू उइके को गिरफ्तार करके गिरफ्तार पंचनामा बनाया गया। पूछताछ, मेमोरेण्डम एवं जप्ती तथा गिरफ्तारी संबंधी उक्त सभी कार्यवाहियां गवाह बुद्ध एवं बब्बू के समक्ष की गई। दिनांक 8/10/14 को ही साक्षी नन्हेसिंह, केशरसिंह, रवैल गोंड, बुद्ध, बब्बू का बयान रिकार्ड किया गया। दिनांक 8/10/14 को ही 9 बजे एएम पर कौंडू उर्फ अमरदास की हत्या से संबंधित घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। दिनांक 8/10/14 को ही 13 बजे जहां मृतकों के शव से कपड़े उतारकर रस्सी से कमर में पत्थर बांधकर पानी में डाला गया था उस स्थान का मौका नक्शा बनाया गया। दिनांक 8/10/14 को ही 13:30 बजे उस स्थान का मौका नक्शा बनाया गया जिस स्थान पर मृतकों के शरीर से निकाले गये कपड़े को एवं लाश को जिन बोरे में भरकर लाया गया था एवं उन बोरे को केरोसिन डालकर जहां जलाया गया था उस स्थान का नक्शा बनाया गया। दिनांक 8/10/14 को 11 बजे उस स्थान का मौका नक्शा बनाया गया जहां पर मृति का सुखवंती बाई की गला दबाकर हत्या किया गया था। दिनांक 8/10/14 को रामू गोंड, हरपाल गोंड, कुमारी सागरती बाई का बयान रिकार्ड किया गया। दिनांक 9/10/14 को अभियुक्ता श्रीमती लक्ष्मी गोंड को गिरफ्तार करके गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। दिनांक 10/10/14 को रूक्को बाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जप्त वस्तुओं को जांच हेतु एफएसएल सागर भेजा गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण करके तथा सह अभियुक्त लालसिंह को फरार दर्शाते हुए दिनांक 31/12/14 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल श्री शशांक खरे के समक्ष अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 302, 201 भादवि के पेश किया गया।

4. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल श्री शशांक खरे द्वारा दिनांक 26/02/15 के आदेशानुसार इस प्रकरण को ट्रायल हेतु सत्र न्यायाधीश बैतूल को उपार्पित किया गया। तत्पश्चात् यह प्रकरण इस न्यायालय को दिनांक 11/3/2015 को प्राप्त हुआ।

5. मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध जब धारा 147, 302/149 एवं 201/149 भादवि के अन्तर्गत आरोप विरचित कर जब उक्त आरोपों को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया तब अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया।

6. अपने अभियुक्त परीक्षण में सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को इंकार करते हुए अभियुक्तगण द्वारा झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया गया तथा इस घटना से उनका कोई सरोकार नहीं होना भी बताया गया है। सह अभियुक्त बबलू एवं सह अभियुक्त बबलू की पत्नी लक्ष्मी द्वारा यह भी बचाव लिया गया है कि वे दोनों ग्राम वीरपुर में रहते हैं तथा ग्राम गदाखार से वीरपुर की दूरी 40 कि०मी० है, वे दोनों गदाखार नहीं गये। रिश्तेदार होने के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है।

7. परन्तु किसी भी अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में, अवसर लिये जाने के बावजूद भी, किसी साक्षी का परीक्षण नहीं करवाया गया है।

8. प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न है :—

- (1) क्या प्रत्येक अभियुक्त द्वारा दिनांक 6/10/2014 को प्रातः 11:00 बजे के पूर्व ग्राम गदाखार एवं ग्राम गदाखार स्थित कुश्ती खेलने वाले जंगल, अन्तर्गत थाना चिचोली में शेष सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कोंडू उर्फ अमरदास एवं सुखवंती बाई की हत्या करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव निर्मित किया गया और उक्त जमाव के उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बल्ला किया गया?
- (2) क्या प्रत्येक अभियुक्त द्वारा उक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होते हुए उक्त जमाव के उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोंडू उर्फ अमरदास एवं सुखवंती बाई की साशय हत्या कारित की गई ?
- (3) क्या प्रत्येक अभियुक्त द्वारा उक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि उनके द्वारा किया गया अपराधिक कृत्य आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय है, स्वयं को उक्त अपराध के वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृतक कोंडू उर्फ अमरदास एवं सुखवंती बाई के शव को वास्तविक घटना स्थल से हटाकर पानी में फेंककरके एवं उनके कपड़ों को जलाकरके साक्ष्य को विलोपित किया गया ?

—:साक्ष्य का विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार:—

9. सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी भीमपुर, अन्तर्गत थाना चिचोली, कमलेश रघुवंशी (अ०सा०१२) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उसने दिनांक 6/10/2014 को ग्राम तावड़ी के कोटवार रामदास

की सूचना के आधार पर एक अज्ञात महिला एवं एक अज्ञात पुरुष की मृत्यु होने के संबंध में मर्ग क्रमांक क्रमशः 0/15/2014 एवं 0/16/2014 पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-25 का है जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर सूचनाकर्ता रामदास का हस्ताक्षर है। मर्ग जांच के दौरान वह घटना स्थल पोला पहाड़ तावड़ी नदी के पास पहुंचकरके पंचानों को तलब करके सफीना फार्म क्रमशः प्रदर्श पी-26 एवं प्रदर्श पी-27 जारी किया था तथा पंचानों के समक्ष शव पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी-28 एवं प्रदर्श पी-29 तैयार किया था जिनके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है। अज्ञात मृतक पुरुष एवं अज्ञात मृतक महिला के शवों का परीक्षण करवाने हेतु डॉक्टर साहब को मौके पर बुलाया गया था। मृतक पुरुष एवं मृतिका महिला की पहचान नहीं हो सकी थी, इस संबंध में शिनाख्तागी कार्यवाही करके पंचनामा तैयार किया था। उक्त मृतक पुरुष एवं उक्त मृतक महिला के शव के परीक्षण हेतु आवेदन क्रमशः प्रदर्श पी-21 अ एवं प्रदर्श पी-23 अ का तैयार करके आरक्षक महेश नम्बर 460 को शव परीक्षण करवाने की ड्यूटी लगाई थी। महेश जातरे आरक्षक 460 पुलिस चौकी भीमपुर (अ0सा07) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि शव की हालत अत्यधिक खराब स्थिति में होने के कारण पोस्टमार्टम वहीं घटना स्थल पर ही किया गया था। डॉक्टर साहब भी वहीं आ गये थे। पोस्टमार्टम कराने के उपरान्त दोनों शवों को पंचों के समक्ष पोला नदी के पास दफना दिया था, इस कार्यवाही से संबंधित पंचनामा प्रदर्श पी-20 का है। उक्त साक्षियों की उक्त साक्ष्य को कूट परीक्षण के माध्यम से खण्डित नहीं किया गया है। उक्त साक्षियों की उक्त साक्ष्य दस्तावेजों से भी समर्थित है। इसलिए ऐसे साक्षियों की ऐसी स्वाभाविक, अखण्डित एवं दस्तावेजों से समर्थित साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

10. डॉक्टर राजेश अतुलकर, बी.एम.ओ., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमपुर (अ0सा08) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि वह पुलिस चौकी भीमपुर के आरक्षक महेश जातरे नम्बर 460 की सूचना पर घटना स्थल पोला पहाड़ नदी तावड़ी गया था, वहीं पर अज्ञात पुरुष एवं अज्ञात महिला के शव का परीक्षण किया था। अज्ञात पुरुष के शव का परीक्षण करने पर यह पाया था कि उसकी उम्र लगभग 35-40 वर्ष की थी, शरीर पर मृत्यु पश्चात् की अकड़न जा चुकी थी, चेहरा एवं पेट सूजा हुआ था, चेहरा पूरी तरह विकृत था एवं जलीय जन्तुओं द्वारा खाया जा चुका था, जीभ बाहर थी, आंख सूजी हुई एवं बाहर की ओर थी। गर्दन का आन्तरिक परीक्षण करने पर हाईड बोन टूटी हुई थी। आन्तरिक परीक्षण करने पर पसली, पेट, आंतों की झिल्ली, कोमलस्व, फुफ्फुस, कण्ठ एवं श्वास नली तथा दोनों फेफड़े सभी कन्जेस्टेड थे, हृदय के दोनों चेम्बर खाली थे। उदर

की जांच करने पर पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुंह तथा ग्रास नली कंजेस्टेड थे, अमाशय में कुछ भोज्य पदार्थ एवं तरल पदार्थ मौजूद था, छोटी आंत में अधपचा भोजन था, बड़ी आंत में मल पदार्थ एवं गैसों थीं। यकृत, प्लीहा, गुर्दा कंजेस्टेड थे, मूत्राशय खाली था। उसके मतानुसार उक्त अज्ञात मृतक पुरुष की मृत्यु का कारण अस्फेक्जिया (Asphyxia) है जो एस्ट्रंग्युलेशन (Strangulation) के कारण हुआ था। उक्त मृतक पुरुष का शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-21 का तथा शॉर्ट पी.एम. रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 का है जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है। मृत्यु की समयावधि शव परीक्षण के समय से तीन दिन के भीतर की थी।

11. डा० राजेश अतुलकर (अ०सा००८) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन भी किया गया है कि उसने अज्ञात महिला के शव का परीक्षण करने पर यह पाया था कि उसकी उम्र लगभग 25-30 वर्ष की थी। शरीर पर मृत्यु पश्चात् की अकड़न जा चुकी थी, आंखें बंद थीं, चेहरा एवं पेट सूजा हुआ था, चेहरा बुरी तरह विकृत था एवं जलीय जन्तुओं द्वारा खाया जा चुका था। जीभ बाहर थी, आंखें सूजी हुई थीं एवं बाहर की ओर थीं। गर्दन का आन्तरिक परीक्षण करने पर हार्ड बोन टूटी थी। आन्तरिक परीक्षण करने पर पसली, पर्दा, कोमलस्व, फुफ्फुस, कण्ठ एवं श्वास नली तथा दोनों फेफड़े सभी कंजेस्टेड थे, हृदय के दोनों चेम्बर खाली थे। उदर में पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुंह तथा ग्रास नली कंजेस्टेड थे। अमाशय में कुछ भोज्य पदार्थ एवं तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में अधपचा भोजन था, बड़ी आंत में मल पदार्थ एवं गैसों थीं। यकृत, प्लीहा, गुर्दा कंजेस्टेड थे, मूत्राशय खाली था। उसके मतानुसार मृतिका की मृत्यु का कारण अस्फेक्जिया (Asphyxia) है जो एस्ट्रंग्युलेशन (Strangulation) के कारण हुआ था। उक्त मृतिका महिला का शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-23 है तथा शॉर्ट पी.एम. रिपोर्ट प्रदर्श पी-24 का है जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है। मृत्यु की समयावधि शव परीक्षण के समय से तीन दिन के भीतर की थी।

12. डाक्टर राजेश अतुलकर (अ०सा००८) द्वारा अपने परीक्षण में यह भी कथन किया गया है कि प्लास्टिक के तीन कण्टेनर में मृतक अज्ञात पुरुष का विसरा प्रिजर्व किया था। प्रथम कण्टेनर में— हृदय, फेफड़ा, लीवर, स्प्लीन एवं किडनी था, द्वितीय कण्टेनर में— स्टॉमक एवं छोटी आंत थी तथा तृतीय कण्टेनर में— नमूला घोल था। उक्त मृतक पुरुष के कपड़े— काली सफेद चेक वाली शर्ट एवं ब्लू ब्लैक लाईन वाली जांघिया सील बंद कर आरक्षक को सौंप दिया था। इसी प्रकार प्लास्टिक के तीन कण्टेनर में मृतिका महिला का विसरा प्रिजर्व किया था। प्रथम कण्टेनर में— हृदय, फेफड़ा, लीवर, स्प्लीन एवं किडनी थे, द्वितीय कण्टेनर में— स्टॉमक तथा छोटी आंत थी तथा

तृतीय कण्टेनर में— नमूना घोल था। मृतिका के कपड़े— सिन्दूरी रंग का ब्लाउज, काले रंग की ब्रा एवं पैण्टी सील बंद करके आरक्षक को सौंप दिया था। उक्त विसरा प्रिजर्व कर केमिकल एनॉलिसिस के लिए भेजा गया था।

13. डा० राजेश अतुलकर (अ०सा०८) की उक्त साक्ष्य को कूट परीक्षण के माध्यम से खण्डित नहीं किया जा सका है। उक्त साक्षी का उक्त साक्ष्य दस्तावेजों से समर्थित है। उक्त साक्षी द्वारा शासकीय चिकित्सक की हैसियत से शव परीक्षण करके उक्त प्रतिवेदन तैयार किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष, ज्युरिसप्रुडेन्स पर आधारित निष्कर्ष है इसलिए ऐसी साक्षी की ऐसी स्वाभाविक, अखण्डित, दस्तावेजों से समर्थित एवं तार्किक निष्कर्ष पर आधारित साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतएव यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अज्ञात पुरुष की मृत्यु एस्ट्रॉंग्युलेशन (Strangulation) के कारण श्वासारोध से हुई थी साथ ही अज्ञात मृतिका महिला की मृत्यु स्ट्रॉंग्युलेशन के कारण उत्पन्न श्वासावरोध (Asphyxia) से हुई है।

14. अब देखना यह है कि मृत्यु का प्रकार क्या था ? अज्ञात मृतक पुरुष एवं अज्ञात मृतिका महिला दोनों के विसरा जांच में रासायनिक विष नहीं पाया गया है, यह एफ.एस.एल., सागर की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-40 से स्पष्ट है। इस स्थिति को खण्डित करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए अज्ञात मृतक पुरुष एवं अज्ञात मृतिका महिला दोनों की मृत्यु विष से होने की स्थिति खण्डित हो जाती है।

15. अज्ञात पुरुष एवं अज्ञात महिला की मृत्यु एस्ट्रॉंग्युलेशन (Strangulation) के कारण श्वासारोध से हुई है, परन्तु दोनों की लाश को नदी में फेंका गया था। अतएव ऐसी स्थिति में आत्महत्या का मामला नहीं कहा जा सकता। इसलिए उक्त दोनों की मृत्यु आत्महत्या से होने की स्थिति भी खण्डित हो जाती है।

16. विष से भी मृत्यु नहीं हुई थी। एक्सिडेंटल मृत्यु होने संबंधी कोई परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं क्योंकि मृतकों के शरीर पर हार्ड बोन फ्रैक्चर के अलावा अन्य कोई चोट नहीं पाया गया था। इसलिए एक्सिडेंटल डेथ की स्थिति भी खण्डित हो जाती है।

17. अतएव उक्त विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अज्ञात मृतक पुरुष की मृत्यु मानव वध था साथ ही अज्ञात मृतिका महिला की मृत्यु भी मानव वध था।

18. अभियोजन कहानी के अनुसार, शनिवार के दिन शाम 6:00—7:00 बजे का समय था, अन्धेरा हो गया था। नन्हेंसिंह गोंड अपने घर

पर था। कुम्मा गोंड के घर पर लड़ाई-झगड़े की आवाज आ रही थी, तभी महासिंह की पत्नी सुखवंती बाई, जो लाल रंग की साड़ी एवं ब्लाउज पहने हुई थी, उसके घर में घुस गई। महासिंह के घर में झगड़ा चलने के कारण वह एक लड़के को अपने साथ मायके ले गई थी तथा उसका छोटा लड़का उसके पति महासिंह के पास ही रहता था। पीछे से बाबूलाल, लालसिंह और महासिंह आये तथा सुखवंती बाई को पकड़कर अपने घर तरफ ले गये। सुखवंती बाई यह बोली, “काका मुझे बचा ले, इनने मेरे भाई को कुश्ती खेलने वाले जंगल नांदा में मार डाला है।” वह डर के कारण घर पर ही रहा, रात्रि करीब 11:00 बजे मोटरसायकल की आवाज आई तथा बहुत लोगों की बातचीत की आवाज आने पर वह घर के बाहर आकरके देखा तो कुम्मा गोंड के घर तरफ से आवाज आ रही थी। उनके घर में जल रही लाईट में सब दिख रहा था। बाबूलाल, महासिंह, लालसिंह, जवाई बबलू, रुक्को बाई, फुल्ले बाई मोटरसायकल पर कुछ रख रहे थे। फिर दो मोटरसायकल नांदा जंगल तरफ गई, एक पर कुछ रखा था और दो आदमी बैठे थे, दूसरी पर केवल दो आदमी बैठे थे। रविवार को सुबह फुल्ले बाई और रुक्को बाई ने पूरा घर लीपा था। अभियोजन की ओर से उक्त कहानी को साबित करने हेतु नन्हें सिंह का परीक्षण करवाया गया है। नन्हें सिंह (अ0सा01) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और न ही उसका बयान लिया था। तत्पश्चात् अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित करके परीक्षण किया गया है, परन्तु ऐसे परीक्षण में भी उक्त अभियोजन कहानी को समर्थित करने वाली कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकी है। ऐसे परीक्षण में उक्त साक्षी ने उक्त कहानी को समर्थित करने वाला पुलिस बयान देने का भी खण्डन किया है। इस प्रकार महत्वपूर्ण साक्षी नन्हें सिंह (अ0सा01) होस्टाईल हो गया है।

19. अभियोजन कहानी के अनुसार, शनिवार शाम 6—7 बजे की बात है, अंधेरा हो गया था, केशरसिंह अपने घर पर था। कुम्मा गोंड के घर से झगड़े की आवाज आ रही थी। महासिंह की औरत (पत्नी) लाल साड़ी, ब्लाउज पहने हुई थी तथा वह अपनी लड़के योगेश से मिलने की बात कर रही थी। महासिंह, लालसिंह, बाबूलाल, रुक्को बाई, फुल्ले उर्फ लक्ष्मी एवं जवाई बबलू उससे झगड़ा कर रहे थे। सुखवंती वहां से भागकर नीचा ढाना तरफ गई तथा पड़ोसी नन्हेंसिंह के घर में घुस गई। लालसिंह, बाबूलाल, महासिंह एवं बबलू उसे नन्हेंसिंह के घर से निकालकर लाये और उसको अपने कच्चे वाले मकान के पीछे ले गये। सुखवंती यह बोल रही थी, “मुझे छोड़ दो।” फिर वह अपना किवाड़ लगा लिया। रात करीब 11:00 बजे मोटरसायकल की आवाज से उसकी नींद खुली, उसने यह देखा,

“मोटरसायकल पर जवाई बबलू चलाने के लिए बैठा था, इस पर पीछे बाबूलाल बैठा था, महासिंह, लालसिंह, रूक्को बाई, फुल्ले बाई बोरी में कुछ छिपाकर उक्त मोटर सायकल पर रख रही थी। फिर बाबूलाल उक्त मोटरसायकल को लेकर नांदा तरफ चला गया। पीछे से लालसिंह एवं महासिंह भी दूसरी मोटरसायकल से उनके पीछे गये।” दूसरे दिन रूक्को बाई और फुल्ले उर्फ लक्ष्मी पूरा घर को गोबर से लीप रही थी। अभियोजन की ओर से उक्त कहानी को साबित करने हेतु केशरसिंह का परीक्षण करवाया गया है। केशरसिंह (अ0सा02) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया है कि उसने कुछ नहीं देखा था, घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही पुलिस ने उसका बयान लिया था। तत्पश्चात् अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित करके परीक्षण किया गया है, परन्तु ऐसे परीक्षण में भी उक्त अभियोजन कहानी को समर्थित करने वाली कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकी है। ऐसे परीक्षण में उक्त साक्षी ने उक्त कहानी को समर्थित करने वाला पुलिस बयान देने का भी खण्डन किया है। इस प्रकार महत्वपूर्ण साक्षी केशरसिंह (अ0सा02) भी होस्टाईल हो गया है।

20. अभियोजन कहानी के अनुसार, रवैल गोंड शनिवार को शाम 6-7 बजे खेत से वापस अपने घर आया तथा रोटी खाने के लिए बैठ ही रहा था कि कुम्मा गोंड के घर तरफ से लड़ाई-झगड़े की आवाज आ रही थी। वह घर के बाहर सड़क पर आकरके देखा तो सुखवंती लाल साड़ी, ब्लाउज में थी तथा महासिंह की औरत (सुखवंती) से उनकी बोलचाल हो रही थी। फिर वह अपने घर आ गया। रात करीब 11:00 बजे फिर कुम्मा गोंड के घर पर आवाज आ रही थी, उसने सड़क पर से देखा तो लालसिंह, महासिंह, बाबूलाल और इनका जवाई बबलू दो मोटरसायकल पर बैठे थे, इनके घर की रूक्को एवं फुल्ले उर्फ लक्ष्मी मोटरसायकल पर कुछ सामान रखने में मदद कर रही थी। फिर दोनों मोटरसायकल उसके घर के सामने से नांदा जंगल तरफ चली गई। गांव में उसको यह भी पता चला था कि घटना की रात्रि सुखवंती बचने के लिए नन्हेंसिंह के घर में छिपी थी तो उसको महासिंह, लालसिंह, बाबूलाल और जवाई बबलू निकालकरके और पकड़करके ले गये थे। सुखवंती ने नन्हें सिंह को यह बताया था कि कुश्ती खेलने वाले जंगल में इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला है, ये उसे भी मार डालेंगे। इस पर नन्हेंसिंह डर गया था। अभियोजन की ओर से उक्त कहानी को साबित करने हेतु रवैल गोंड का परीक्षण करवाया गया है। रवैल (अ0सा03) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसने घटना नहीं देखा। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही पुलिस ने उसका बयान लिया था। तत्पश्चात् अभियोजन द्वारा इस

साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित करके परीक्षण किया गया है परन्तु ऐसे परीक्षण में भी उक्त अभियोजन कहानी को समर्थित करने वाली कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकी है। ऐसे परीक्षण में उक्त साक्षी ने उक्त कहानी को समर्थित करने वाला पुलिस बयान देने का भी खण्डन किया है। इस प्रकार महत्वपूर्ण साक्षी रवैल (अ0सा03) भी होस्टाईल हो गया है।

21. रामू (अ0सा011) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि दिनांक 4 अक्टूबर, 2014 को उसकी लड़की सुखवंती, उसके लड़के अमरदास के साथ अपने पुत्र योगेश से मिलने के लिए ग्राम गदाखार गई थी। उक्त साक्ष्य की संपुष्टि हरपाल (अ0सा09) तथा सागरती (अ0सा010) की साक्ष्य से हुई है। उक्त साक्षियों की उक्त साक्ष्य को खण्डित करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त तीनों साक्षी सुखवंती बाई एवं अमरदास के साथ ग्राम गदाखार गये हो, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सुखवंती बाई एवं अमरदास दोनों गदाखार गांव जाने के लिए रवाना हुए थे।

22. अभियोजन कहानी के अनुसार, महेश सिपाही ने हरपाल, सागरती बाई एवं रामू को काला बेल्ट, लाल ब्लाउज एवं फोटो दिखाया था। उक्त तीनों ने काला बेल्ट देखकर अमरदास का होना बताया था, उक्त तीनों ने लाल ब्लाउज देखकर सुखवंती बाई का होना बताया तथा उक्त तीनों ने फोटो देखकर सुखवंती एवं अमरदास का होना बताया।

23. सागरती (अ0सा010) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में पुलिस के द्वारा उसको उक्त वस्तुएं एवं फोटो को दिखाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने कूट परीक्षण की कंडिका-4 में यह बयान दिया गया है कि उसने बेल्ट, ब्लाउज, ब्रा और अण्डरवियर वगैरह कुछ नहीं देखा और न ही उसने फोटो देखी थी। उसको पुलिस वाले ने कुछ दिखाया भी नहीं था।

24. हरपाल (अ0सा09) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि पुलिस वालों ने उसको कुछ नहीं दिखाया था। तत्पश्चात् अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित करके परीक्षण किया गया है। ऐसे परीक्षण में इस साक्षी ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि पुलिस ने उसको एक काला बेल्ट, लाल ब्लाउज तथा फोटो दिखाया था। ऐसे सुझाव का खण्डन करने के बाद इस साक्षी ने फिर कहा कि बेल्ट एवं फोटो पुलिस ने दिखाया था जो अमरदास एवं सुखवंती का था, परन्तु इस साक्षी ने अपने कूट परीक्षण की कंडिका-5 में यह बयान दिया गया है कि वह पुलिस चौकी में नहीं गया था, उसको पुलिस वालों ने बेल्ट, ब्लाउज, अण्डरवियर और कोई सामान नहीं दिखाया था। इसलिए कूट परीक्षण में दिये गये उक्त

बयान से उक्त साक्षी का उक्त कथन खण्डित हो जाता है। पुलिस के द्वारा बेल्ट जप्त करने की कोई अभियोजन कहानी भी नहीं है।

25. रामू (अ0सा011) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि पुलिस वाला रमेश उसके घर आया था तथा उसको बुलाकरके चौकी ले गया था, वह अकेला था। रमेश ने उसको चौकी तक पहुंचा दिया था तथा वहां से चला गया था। चौकी में पुलिस वाला महेश मिला, उसने उसको ब्लाउज, शर्ट, बेल्ट और साड़ी दिखाया तथा यह कहा कि यह किसकी है? तो उसने यह कहा कि उसके लड़के अमरदास का बेल्ट है और सुखवंती की साड़ी है। इस साक्षी ने अपने कूट परीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया है कि महेश सिपाही ने पुलिस चौकी में जो सामान दिखाया था, वह सामान खुला ही रखा था। ब्लाउज, साड़ी एवं बेल्ट बाजार में मिलते हैं, महेश सिपाही ने जो सामान उसको दिखाया था उसका उपयोग उसने कभी नहीं किया। उपरोक्त सामान उसके द्वारा नहीं खरीदा गया था। इस साक्षी ने अपने कूट परीक्षण की कंडिका-2 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने सुखवंती और अमरदास की लाश को देखकर पहचान लिया था। साड़ी और बेल्ट की पहचान करके लाश को पहचानने की अभियोजन कहानी नहीं है। इस मामले में न तो लाश के साथ बेल्ट जप्त किया गया था और न ही लाश के साथ साड़ी जप्त की गई थी। रामू (अ0सा011) के द्वारा लाश को देखकर सुखवंती एवं अमरदास की लाश होना पहचान लिया था, ऐसी भी अभियोजन कहानी नहीं है।

26. रामू (अ0सा011) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि वह पुलिस वालों के साथ तावड़ी नदी पर गया था तथा वहां पहुंचकर लाश को देखा था एवं लाश देखकर लाश पहचाना कि वह अमरदास और सुखवंती की है। परन्तु, ऐसी न तो अभियोजन कहानी है और न ही लाश की ऐसी पहचान रामू (अ0सा011) ने की है क्योंकि अभियोजन कहानी के अनुसार रामू वहां नहीं गया था, लाश की पहचान भी नहीं हो सकी थी, इसलिए लाश को वहीं नदी के किनारे गाड़करके दफना दिया था। सहायक उप निरीक्षक कमलेश रघुवंशी (अ0सा012) द्वारा अपने कूट परीक्षण की कंडिका-5 में यह बयान दिया गया है कि शव की शिनाख्तगी के समय किसी भी व्यक्ति ने शव की पहचान नहीं किया था, ऐसा नहीं हुआ कि मृतकगण के पिता रामू मौके पर उपस्थित थे और उसने अपने बच्चों की लाश की पहचान की थी, शव शिनाख्तगी के समय रामू वहां पर उपस्थित नहीं था। चूंकि शव की शिनाख्तगी नहीं हो पाई थी इसलिए पंचों के समक्ष वहीं पर अन्तिम क्रिया कर्म कर दिया गया था।

27. अनुसंधान अधिकारी एवं निरीक्षक दिनेश शर्मा (अ0सा015) द्वारा अपने कूट परीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि मृतक के शरीर से जप्त

कपड़ों की कोई शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं करवाई गई थी न ही कोई शिनाख्तगी मेमो बनाया गया था।

28. डा0 राजेश अतुलकर (अ0सा08) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि अज्ञात पुरुष के शव का चेहरा पूरी तरह विकृत था एवं जलीय जन्तुओं द्वारा खाया जा चुका था। इस साक्षी ने अपने परीक्षण में यह भी कथन किया है कि अज्ञात महिला के शव का चेहरा पूरी तरह विकृत था एवं जलीय जन्तुओं द्वारा खाया जा चुका था। ऐसी स्थिति में अज्ञात मृतक पुरुष एवं अज्ञात मृतिका महिला की फोटो को देखकर पहचानना सम्भव नहीं था। शव में सड़न प्रारम्भ हो गई थी ऐसी स्थिति में शरीर पर विद्यमान किसी पहचान चिन्ह या दाग से भी शव को पहचान किया जाना उक्त स्थिति में सम्भव नहीं था।

29. इसलिए उक्त विश्लेषित परिस्थितियों में लाश की सही पहचान हो जाना संदेहास्पद बन जाता है। इसके बावजूद भी डी.एन.ए. टेस्ट के माध्यम से यह स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया कि लाश वास्तव में सुखवंती बाई एवं अमरदास का ही है। यह स्थिति भी महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है।

30. सागरती (अ0सा010) द्वारा अपने कूट परीक्षण की कंडिका-4 में यह बयान दिया गया है कि रमेश सिपाही जो भीमपुर चौकी में है, उसने उसकी बहन सुखवंती को बुलाया था। उसकी बहन और अमरदास सुबह के 10:00-10:30 बजे पेट भर खाना खाकरके गये थे। रामू (अ0सा011) द्वारा अपने कूट परीक्षण की कंडिका-6 में यह बयान दिया गया है कि भीमपुर चौकी के पुलिस वाले रमेश ने उसकी लड़की को बुलाया था इसलिए लड़की भीमपुर चौकी गई थी। सुखवंती बाई की पुलिस वाले रमेश से पहले से जान पहचान थी, परन्तु महत्वपूर्ण साक्षी सिपाही रमेश का परीक्षण नहीं करवाया गया है। यह स्थिति भी महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है।

31. हरपाल (अ0सा09) द्वारा अपने कूट परीक्षण की कंडिका-6 में यह स्वीकार किया गया है कि उसके बड़े पिताजी का नाम सुरजूलाल है तथा सुरजुलाल कुछ वर्षों से भीमपुर में परिवार सहित रहता है। सागरती (अ0सा010) द्वारा अपने कूट परीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया गया है कि अमरदास और हमारा सुरजु के यहां आना-जाना था। सुरजूलाल और अमरदास बैल खरीदी-बिक्री का धन्धा करते थे। इस साक्षी ने कूट परीक्षण की इसी कंडिका में यह स्वीकार किया है कि बैल खरीदी-बिक्री पर अमरदास एवं सुरजुलाल का विवाद हुआ था तथा इसी वाद-विवाद में कोटवार मर गया था। हत्या के मामले में सुरजुलाल को सजा हो गई है तथा सुरजुलाल जेल में है। इस साक्षी ने अपने कूट परीक्षण की कंडिका-2 में यह भी स्वीकार किया है कि हमारी और सुरजुलाल की मृतक कोटवार के परिवार

से रंजिश चल रही थी। ऐसी स्थिति में कोटवार के परिवार से रंजिश चलने की स्थिति भी महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है।

32. सागरती (अ0सा010) द्वारा अपने कूट परीक्षण की कंडिका-4 में यह स्वीकार किया गया है कि उसकी बहन सुखवंती बाई एवं उसका भाई अमरदास सुबह के 10:00-10:30 बजे घर से पेट भर खाना खाकरके गये थे। डा0 राजेश अतुलकर द्वारा अपने कूट परीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया गया है कि दोनों शवों के अमाशय में भोजन मिला था। इस साक्षी ने अपने कूट परीक्षण की इसी कंडिका में यह भी स्वीकार किया है कि इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मृतकों ने मृत्यु के 4 घंटे पहले खाना खाया होगा क्योंकि अमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है। उक्त दोनों मृतकों ने अपने घर के बाद कहीं और खाना खाया था, ऐसी अभियोजन कहानी नहीं है। ऐसी स्थिति में मृतकों की मृत्यु 4 बजे शाम के पूर्व हो गई थी ऐसा अनुमान लगाया जाना अतार्किक नहीं है जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार सुखवंती शाम 6-7 बजे ग्राम गदाखार में देखी गई थी। यह विरोधाभासी स्थिति भी अभियोजन कहानी को शंकास्पद बना देती है।

33. अनुसंधान अधिकारी एवं निरीक्षक दिनेश शर्मा (अ0सा015) द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उसने विवेचना के दौरान पोला पहाड़ी जहां से मृतकों के शव प्राप्त हुए थे, वहां पहुंचकर अभियुक्त महासिंह की निशादेही पर नक्शा मौका प्रदर्श पी-33 का बनाया था जिसके क से क भाग पर उसका हस्ताक्षर है। उसने ग्राम लापा खामापुर सीमा पहुंचकर जहां पर मृतकों के कपड़े आदि तथा राख आदि जप्त हुई थी उस घटना स्थल का निरीक्षण करके महासिंह की निशादेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-34 का बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है। उसने गदाखार में भी अभियुक्त महासिंह की निशादेही पर निरीक्षण कर प्रदर्श पी-35 का नक्शा बनाया था जिसके क से क भाग पर उसका हस्ताक्षर है। अभियोजन कहानी के अनुसार प्रदर्श पी-35 का नक्शा मौका उस स्थान से संबंधित है जिस स्थान पर सुखवंती बाई की गला दबाकर हत्या की गई थी। इस साक्षी ने अनुसंधान के दौरान उस स्थान का भी मौका नक्शा बनाया है जहां पर अमरदास को मारा गया था तथा ऐसा नक्शा मौका प्रदर्श पी-32 का है। उक्त बनाये गये सभी मौका नक्शा पर न तो गवाहों के हस्ताक्षर है और न ही अभियुक्त महासिंह का ही हस्ताक्षर है। यह स्थिति भी महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है।

34. अनुसंधान अधिकारी एवं निरीक्षक दिनेश शर्मा (अ0सा015) द्वारा अपने कूट परीक्षण की कंडिका-9 में यह बयान दिया गया है कि विवेचना में यह तथ्य सामने आया था कि केरोसिन डालकर कपड़ों में आग लगाई गई है। इस साक्षी ने इसी कंडिका में यह भी स्वीकार किया है कि केरोसिन की

कुप्पी वगैरह (केरोसिन रखकर ले जाने वाला पात्र) की जप्ती नहीं हुई है और केरोसिन कहां से ले गया? इस बारे में उसने कोई जांच नहीं किया है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य कलेक्ट क्यों नहीं की गई? इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है।

35. अभियुक्त महासिंह से लेंडिया की 35 इंच पुरानी इस्तेमाली लकड़ी जप्त करना बताया गया है, यह जप्ती अभियुक्त महासिंह के कच्चे मकान में चूल्हा के पास से किया जाना बताया गया है। अनुसंधान अधिकारी एवं निरीक्षक—दिनेश शर्मा द्वारा अपने कूट—परीक्षण की कंडिका—9 में यह बयान दिया गया है कि उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि लेंडिया की लकड़ी चूल्हे में जलाने के उपयोग में आती है और हर घर में रहती है। सामान्यतः इस इलाके में लेंडिया की लकड़ी को जलाउ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उक्त लकड़ी पर खून का कोई धब्बा पाया गया था, ऐसी भी स्थिति नहीं है। उक्त ऐसी जप्त लकड़ी को जांच हेतु एफ.एस.एल. सागर भेजा गया, ऐसी भी स्थिति नहीं है। इसलिए उक्त ऐसी सामान्य प्रकार की लकड़ी जो जलाउ लकड़ी के रूप में उपयोग में आती है, की जप्ती के आधार पर अभियुक्तगण को हत्या के अपराध से जोड़ा जाना संभव नहीं है क्योंकि ऐसी जप्त लकड़ी हत्या कारित करने में इस्तेमाल में लाया गया था इस संबंध में भी कोई डायरेक्ट साक्ष्य नहीं है और न ही ऐसी जप्त लकड़ी पर, अभियुक्तगण को इस हत्या से जोड़ने वाला कोई अन्य साक्ष्य ही, पाया गया है।

36. सहायक उपनिरीक्षक कमलेश रघुवंशी (अ0सा0—12) द्वारा अपने कूट—परीक्षण की कंडिका—6 में यह स्वीकार किया गया है कि शव पर बंधी रस्सी तथा पत्थर वजह सबूत में उसने जप्त नहीं किया था, शव पर बंधी रस्सियां किसकी थी? इस संबंध में उसने कोई जांच नहीं किया। अनुसंधान के दौरान भी ऐसी कोई साक्ष्य कलेक्ट नहीं की गई है जिसके आधार पर शव पर बंधी रस्सियों एवं पत्थर के माध्यम से अभियुक्तगण को इस हत्या के अपराध से जोड़ा जा सके।

37. सहायक उपनिरीक्षक कमलेश रघुवंशी (अ0सा0—12) द्वारा अपने कूट—परीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया गया है कि जप्त किये गये कपड़ों की सिलाई कहां पर हुई थी? उसने इसकी तहकीकात नहीं किया। अनुसंधान के दौरान भी ऐसी कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई है जिसके आधार पर मृतकों के शव पर पाये जाने वाले कपड़ों से उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके।

38. इस प्रकार अभियुक्तगण को इस मामले से संबंधित हत्या से जोड़े जाने के लिये कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

39. उक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियोजन, आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित आरोपों को शंका से परे साबित करने में विफल रहा है इसलिए अभियुक्तगण— महासिंह उर्फ मानसिंह, बाबूलाल, बबलू, लक्ष्मी

उर्फ फल्ले एवं रूक्कोबाई— प्रत्येक को धारा 147, 302/149 एवं धारा 201/149 भा. दं.वि. के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

40. अभियुक्तगण जमानत पर है, इसलिए उनका जमानत मुचलका निरस्त किया जाता है।

41 प्रकरण में अभियुक्त महासिंह से जप्त लैंडिया की एक लकड़ी को अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाय, अपील होने पर अपील के आदेशानुसार कार्यवाही की जाय। अभियुक्त बाबूलाल से जप्त डबल एस लाल रंग का हीरो कम्पनी का मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर एमपी-28-एफ-7170 को अपील अवधि पश्चात्, अभियुक्त बाबूलाल को लौटाई जाय, अपील होने पर अपील के आदेशानुसार कार्यवाही की जाय।

42. सह अभियुक्त लालसिंह फरार है, इसलिए इस मामले के शेष मुद्देमाल को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाता है।

43 सह अभियुक्त लालसिंह फरार है इसलिए इस मामले के रिकार्ड को सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए इसे अभिलेखागार में जमा किया जाय।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

सही/-13/7/2016
(आर0एन0चौधरी)
सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म0प्र0)

सही/-13/7/2016
(आर0एन0चौधरी)
सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म0प्र0)